3582(E)
7/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, अररिया अन्तर्गत सैफगंज–महथावा पथ के 12वें कि०मी० में पहुँच पथ निर्माण, बचाव कर्य एवं डायभर्सण कार्य सहित 3x16m आाकर का आर०सी०सी० उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–944(अनु०) दिनांक 11.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, अररिया अन्तर्गत सैफगंज–महथावा पथ के 12वें कि०मी० में पहुँच पथ निर्माण, बचाव कर्य एवं डायभर्सण कार्य सहित 3x16m आाकर का आर०सी०सी० उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य वर्ष 2014–15
2.2	एकरारनामा संख्या	: 03/SBD/2016-17
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹5,86,88,232.00
2.4	संवेदक का नाम	M/s Sona Construction.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	: 08.09.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	: 07.12.2016
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 30.04.2017
2.8	समयवृद्धि की मांग	: 30.04.2017

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(i) **कार्य स्थल के handover में देरी के कारण विलंब–** कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–312(अनु०) दिनांक 23.02.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा दिनांक 08.09.2015 को एकरारनामा कर कार्यालय निर्गत किया गया। परन्तु कार्यादेश देने के समय बाढ़ एवं बरसात का मौसम रहने के कारण स्थल का हस्तानान्तरण नवम्बर माह में किया जा सका। साथ ही बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के कारण मार्गरेखन में पड़ने वाली पुराने स्क्रू पाईल पुल को हटाना संभव नहीं था, क्योंकि चुनाव कार्य के लिए Diversion के रूप में उपयोग हो रहा था। उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा 82 दिनों का अविध विस्तार का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 66 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(ii) **Electric pole (utility shifting) के कारण विलंब–** संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि पुल के उपर से 11000 वोल्ट बिजली के तार हटाने के पश्चात् ही कार्य करना संभव होगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके पत्रांक–04 दिनांक 07.03.2016 द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता से बिजली का तार एवं Electric pole हटाने हेतु अनुरोध किया गया संवेदक द्वारा 101 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 781 दिनों की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य में कुल 144 दिनों अर्थात् दिनांक 30.04.2017 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.04.2017 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–944(अनु०) दिनांक 11.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, अररिया अन्तर्गत सैफगंज–महथावा पथ के 12वें कि०मी० में **3x16m** आाकर के उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 (एकरारनामा सं0–03/SBD/2016-17) हेतु दिनांक 30.04.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह
अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव– सह–
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध(स०वि०)–06–61/2019– 3582(E) पटना, दिनांक– 7/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल पूणियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।